



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 13/XXXVI(3)/2010/18(1)/2009

देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2010)

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के
स्थान पर
उत्तराखण्ड पढ़ा
जाना

2-इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2003) में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की
उपधारा (1) के
खण्ड (घ), (ट),
(ड) एवं (न) का
प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट), (ड) एवं (न) के स्थान पर निम्न उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्-

“(घ) ‘दूरस्थ शिक्षा पद्धति’ का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर आनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;”

“(ट) ‘क्षेत्रीय केन्द्र’ का तात्पर्य राज्य में ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;”

“(ड) ‘अध्ययन केन्द्र’ का तात्पर्य राज्य के भीतर स्थित ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो;”

“(न) ‘विश्वविद्यालय’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा;”

धारा 7 के खण्ड
(ख), (ग), (ज) एवं
(झ) का प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ख), (ग), (ज) एवं (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

“(ख) उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय परिसर और राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना;”

“(ग) राज्य के भीतर अनवरत एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना;”

“(ज) राज्य के भीतर विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ कराना;”

“(झ) राज्य के भीतर किसी संगठन के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना तथा प्रौद्योगिकियों का व्यापारीकरण।”

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।